राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2022/2011/अजमेर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त–ए, अजमेर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स रघुवीर मेटल इण्डस्ट्रीज लि0, अजमेर। .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री जमील जई, डीजीए .....अपीलार्थी की ओर से
श्री एस.के.जैन, अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 22.09.2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 158/10–11/वैट/अजमेर में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 24.03.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–ए, अजमेर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2010 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 25, 61, 55, 58 के तहत प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उक्त फर्म के कार्यालय एवं फैक्ट्री का सर्वेक्षण, अपीलीय अधिकारी से प्राप्त अनुमति के आधार पर वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अजमेर के नेतृत्व में गठित दल द्वारा दिनांक 09.01.2009 को किया गया। फैक्ट्री परिसर से रिकार्ड EX-1 से EX-2 एवं फैक्ट्री के कार्यालय व निवास से रिकार्ड EX-1 to EX-5 तक के रिकार्ड धारा 75(4) के तहत अभिग्रहित (जिसमें फर्म का कम्पयूटर सीपीयू सम्मिलित है) किये गये। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत लेखा पुस्तकें, खरीद बिलों, बिक्री बिलों की बुकों एवं कार्यालय में प्रस्तुत विवरणियों से अभिग्रहित रेकार्ड (जिसमें फर्म का कम्पयूटर सीपीयू सम्मिलित है) की प्रविष्टियों का सत्यापन मिलान करते हुए अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई। अंकेक्षण व नोटिस के आधार पर कर, ब्याज व शास्ति आरोपित की गई। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी की अपील आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया। जिनके विरूद्ध अधिनियम की धारा 83 के तहत विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित होकर बतलाया कि अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 24.03.2011 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने अपना विस्तृत आदेश दिनांक 03.04.2013 व अन्ततः 29.10.2015 को पारित कर दिया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने के फलस्वरूप खारिज किये जाने का निवेदन किया।

लगातार.....2

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 24.03.2011 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने अपना विस्तृत आदेश दिनांक 03.04.2013 व अन्ततः 29.10.2015 को पारित कर दिया है एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 03.04.2013 व अन्ततः 29.10.2015 की प्रति पेश कर कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक **24.03.2011** के जरिये प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसकी पालना में लायक निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 03.04.2013 व अन्ततः 29.10.2015 को निर्देशानुसार रिकॉर्ड की पुनः जांच कर, प्रतिप्रेषित प्रकरण का निष्पादन कर दिया है। अतः विवादित अपीलीय आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील "सारहीन" हो गयी है। साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि प्रस्तुत अपील संख्या 933/2011/अजमेर को दिनांक 29.12.2015 को विड्रा किया गया है। अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं:–

(i)सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 (राज.)
(ii)सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 केशरीलाल (1991) 9 आर.टी.जे.एस 8 । (राज.)
(iii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, एन्टीइवेजन बनाम् विशाल ट्रेडिंग कं0 (1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)
(iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् अग्रवाल साल्ट कं0, 38 टैक्स वर्ल्ड 16 (आर.टी.बी.)

6. उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर ही बिना गुणावगुणों पर विचार किये प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है ।

7. उप–राजकीय अभिभाषक ने विद्वान अभिभाषक द्वारा उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति के जवाब में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये :–

(i) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 मेवाड़ वेल्डिंग वर्क्स **119 एस.टी.सी. 576।** (राज.)
(ii) वा.क.अ. राजसमन्द बनाम् मै0 होनेस्टी आयरन एण्ड हार्डवेयर स्टोर, कांकरोली **25 आर. टी.जे.एस.79** । (आर.टी.टी.)

8. उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में प्रस्तुत अपीलों को प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर निर्णित नहीं कर, गुणावगुणों पर निर्णित करने की प्रार्थना की गयी ।

9. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् माननीय न्यायालयों के ऊपर उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अध्ययन करने के पश्चात् हमारे विनम्र मत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर उद्धरित हालिया न्यायिक दृष्टांत **25 टैक्स अपडेट 59, 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)** तथा कर बोर्ड की समन्वय पीठ के उद्धरित निर्णय **38 टैक्स वर्ल्ड 16** के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में **दिनांक 03.04.2013 व अन्ततः 29.10.2015** को निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में आदेश पारित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत अपील "सारहीन" हो गयी है।

10. परिणामतः अपील सारहीन हो जाने के फलस्वरूप अस्वीकार की जाती है ।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

22.9.2016

(मदन लाल)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष